न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1752–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–5–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, अंजड़ जिला बडवानी प्र0क0 3/अ–13/13–14 एवं 2/अ–13/13–14

महादेव पुत्र श्री बुद्धा भारूड
निवासी लोहारा तहसील अंजड़ जिला बडवानी म0 प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

रणजीत पुत्र श्री रघुनाथ बेलदार
निवासी लोहारा तहसील अंजड़ जिला बडवानी म0 प्र0 .....अनावेदक

श्री के0 के0 द्विवेदी अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 15 अक्टूबर, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, अंजड़ जिला बडवानी द्वारा पारित आदेश 31–5–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, अंजड़ जिला बडवानी के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम लोहारा स्थित भूमि सर्वे कमांक 92 रकबा 2.90 लगानी 5.15 उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है । अनावेदक अपनी भूमि पर जिस रास्ते से जाता था,

उसे आवेदक द्वारा रोक दिया गया है, अतः उक्त रास्ते को पूर्ववत खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा अनावेदक के आवेदन पत्र पर प्रकरण कमांक 3/अ–13/13–14 दर्ज किया गया । इसी प्रकार आवेदक द्वारा भी इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक सहित अन्य के नाम ग्राम लोहारा में सर्वे कमांक 45/1/क रकबा 2.70 एवं सर्वे कमांक 45/1/ख रकबा 6.28 लगानी 16.41 भूमि है । अनावेदक के उसकी भूमि में से बैलगाडी लेकर निकलने पर उसे रोका गया तो वह गालीगलोच करने लगा । अनावेदक का रास्ता भेरूघाट की तरफ से परंपरागत रास्ता है, अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अनावेदक के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाये और उसे उसकी भूमि से जबरन न निकालने के आदेश दिये जाये । उक्त आवेदन पर प्रकरण कमांक 2/अ–13/13–14 दर्ज किया गया । तहसीलदार द्वारा दोनों प्रकरणों को सम्मिलित कर दिनांक 31–5–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता तत्काल खुलवाये जाने के आदेश दिये जाकर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को उक्त रास्ता खोलने हेतु परवाना जारी करने के निर्देश दिये गये । साथ ही आवेदक को आदेशित किया गया कि वह 500/–रूपये का मुचलका पेश करे कि वह न तो अंतरिम रूप से खुलवाये गये रास्ते को स्वंय रोकेगा और न ही किसी के माध्यम से उसे रूकवायेगा । यह भी आदेशित किया गया है कि इस आदेश का अंतिम आदेश पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की भूमि में से कभी भी रास्ता नहीं रहा है इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक की भूमि में से रास्ता देने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक ने अपने स्वंय की सुविधा के लिये रास्ता बनाया था, जिसे आवश्यकता नहीं होने पर उसके द्वारा बंद किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि उक्त रास्ता अनावेदक का रास्ता नहीं हो सकता है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रकरण में थाना प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन चाहा गया था और उनके समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन में रास्ता नहीं होना दर्शाया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार ने जो पंचनामा बनाया है उसमें कुछ लोगों के हस्ताक्षर है । इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार को

कुछ लोगों के कहने पर रास्ता नहीं देना चाहिये था, बल्कि वास्तविक रूप से यह जांच करना चाहिये थी कि प्रश्नाधीन रास्ता परमपरागत रास्ता है अथवा नहीं और आवेदक की भूमि में से रास्ता दिया जा सकता है अथवा नहीं । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक इस न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है, क्योकि उनके द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी से स्थगन भी प्राप्त कर लिया गया था, परन्तु जब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–6–2014 को स्थगन आदेश निरस्त कर दिया तब उनके द्वारा दिनांक 11–6–2014 को इस न्यायालय में तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर लिया गया तथा इस न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने पर दिनांक 26–6–2014 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां से प्रकरण नहीं चलाने के कारण खारिज करा लिया गया । अतः आवेदक की निगरानी इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि आवेदक पिछले 15–20 वर्षों से प्रश्नाधीन रास्ते का उपयोग कर रहा है, जो कि रूढ़िगत रास्ता है और आवेदक द्वारा जो रास्ता बतलाया जा रहा है वह लगभग ढेड किलोमीटर दूरी पर है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा मौके पर स्थल निरीक्षण किया गया है और मौके पर पंचनामें पर आवेदक के हस्ताक्षर है और स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ता होना एवं उसे रोके जाना पाया गया है, इसलिये तहसीलदार का आदेश उचित है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ मे अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा पूर्व में तहसीलदार के आदेश दिनांक 31–5–2014 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 3–6–2010 को स्थगन प्राप्त किया गया । तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–6–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर स्थगन निरस्त कर दिये जाने से आवेदक द्वारा दिनांक 11–6–2014 को इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त किया गया है और इस न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने के उपरान्त

आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के यहां प्रचलित प्रकरण नहीं चलाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण खारिज करा लिया गया है । आवेदक द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही सदभाविक नहीं है, क्योंकि यदि आवेदक क मत में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रचलन योग्य नहीं थी तब उन्हैं अनुविभागीय अधिकारी से प्रकरण वापस लेकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना था । अतः अनावेदक के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क में पूर्ण बल है कि आवेदक द्वारा स्वच्छ हाथों से इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसकी भूमि पर जाने हेतु जो रास्ता था उसे आवेदक द्वारा बंद कर दिया गया है । तहसीलदार द्वारा अनावेदक के आवेदन पत्र पर प्रकरण कमांक 3/अ--13/13--14 दर्ज किया गया है । तहसील न्यायालय में आवेदक द्वारा भी इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अनावेदक आवेदक की भूमि में से जबरदस्ती निकल रहा है अतः उसे रोका जाये । आवेदक के आवेदन पत्र पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ--13/13--14 दर्ज किया गया । आवेदक द्वारा थाने में भी इसी आशय की शिकायत की गई है । तहसील न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरण एक साथ सम्मिलित कर दिनांक 1--5--2014 को उभयपक्ष सहित पुलिस थाने के आरक्षक श्री मण्डलोई एवं अन्य ग्रामवासी तथा पंचों के समक्ष मौके पर स्थल निरीक्षण किया गया है और प्रश्नाधीन रास्ता होने तथा उसे आवेदक द्वारा जोता जाकर मक्के की फसल बोकर बंद किया जाना पाया गया है । मौके पर आवेदक स्वंय उपस्थित रहा है और उसके द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया है कि प्रश्नाधीन रास्ता उसके द्वारा अपनी भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु बनाया गया था तथा उसकी सहमती से ग्रामवासी निकलते थे तथ पंचनामा पर हस्ताक्षर भी किये गये है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खोले जाने संबंधी निर्देश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । उक्त आदेश के पालन में आवेदक द्वारा 500/--रूपये का मुचलकानामा भी तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें इस आशय का उल्लेख आवेदक द्वारा किया गया है कि आगामी आदेश तक वह रास्ते में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं करेगा, इस कारण भी तहसीलदार का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं रह जाता है । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण

विचारणीय बिन्दु यह है कि तहसीलदार द्वारा अभी अंतरिम आदेश पारित कर प्रकरण के निराकरण तक रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है और प्रकरण में अंतिम रूप से निराकरण तहसीलदार द्वारा किया जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वह साक्ष्य से प्रश्नाधीन रास्ता परंपरागत रास्ता नहीं होने संबंधी तथ्य को प्रमाणित कर सकता है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, अंजड़ जिला बडवानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–5–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर